



प्रेषक,

विनोद कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ

दिनांक: 06 अगस्त, 2026

विषय:-प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर परिसर में टाइप-2 एवं टाइप-3 आवासों के निर्माण कार्य संबंधी परियोजना की टेण्डर कास्ट पर पुनरीक्षित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन व चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-आई/626860/2026/ई-प्लान-निदे० आवास, दिनांक 06.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर परिसर में टाइप-2 एवं टाइप-3 आवासों के निर्माण कार्य हेतु संबंधी परियोजना को टेण्डर कास्ट के आधार पर आगणित लागत रु० 427.76 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन करने तथा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 06.06.2026 द्वारा प्रेषित प्रस्तावके आलोक में श्री राज्यपाल शासनादेश संख्या-121/2025/आई/1172352/2025/16-3099/91/2025, दिनांक 12.12.2025 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर परिसर में टाइप-2 एवं टाइप-3 आवासों के निर्माण कार्य संबंधी परियोजना को टेण्डर कास्ट के आधार पर आगणित लागत **रु० 427.76 लाख** पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में संगत मद से धनराशि **रु० 75.00 लाख (रु० पचहत्तर लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करती है।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 047 लेखा शीर्षक 4202028000600 प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर परिसर में आवासीय भवनों का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

**विनोद कुमार
विशेष सचिव।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3- निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र० प्रयागराज।
- 4- निजी सचिव, मा० मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग उ०प्र० शासन।
- 5- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
- 6- महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- जिलाधिकारी, कानपुर। (द्वारा निदेशक, प्रा०शि०)
- 8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर। (द्वारा निदेशक, प्रा०शि०)
- 9- वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर। (द्वारा निदेशक, प्रा०शि०)
- 10- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०आर०एन०एस०एस०, लखनऊ। (द्वारा निदेशक, प्रा०शि०)
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
- 12- नियोजन अनुभाग-4
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विनोद कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।